FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, KOSHI (SAHARSA).

[Service Appeal Case No.- 146 /2023]

Dev Narayan Mehta.....Appellant

Versus

District Magistrate, Madhepura.....Respondents.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	30.10.2025	**आदेश** यह सेवा अपील वाद जिला दण्डाधिकारी -सह- समाहर्त्ता, मधेपुरा के आदेश ज्ञापांक-662-2/स्था0, दिनांक-19.8.2023 के विरूद्ध दायर किया गया है। वाद अंगीकृत कर सुनवाई की गई। LCR प्राप्त है। दिनांक-18.10.2025 को उभय पक्ष के Final Argument को सुना। तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलार्थी का अभिकथन वाद पत्र में अंकित है। विपक्षी जिला दण्डाधिकारी की ओर से जिला स्थापना उप समाहर्त्ता, मधेपुरा के माध्यम से कंडिका-वार जवाब प्राप्त है। अभिलेख के अवलोकन से यह स्थिति दृष्टिगत है कि जिला दण्डाधिकारी -सह- समाहर्त्ता, मधेपुरा के आदेश ज्ञापांक-662-2/गो0 दिनांक-19.8.2023 के द्वारा अपीलार्थी श्री देव नारायण मेहता राजस्व कर्मचारी, अंचल कार्यालय, गम्हरिया प्रतिनियुक्त अंचल कार्यालय, मधेपुरा के विरूद्ध दिनांक-30.11.2021 को निगरानी धावा दल द्वारा रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े जाने का आरोप प्रमाणित होने के आधार पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 यथासंशोधित 2007 के नियम-14(XI) के आलोक में सेवा से बर्खास्त किये जाने का दण्ड अधिरोपित किया गया है। अपीलार्थी के वाद पत्र में अंकित है कि अपर समाहर्त्ता, मधेपुरा -सह- संचालन पदाधिकारी के समक्ष उनके द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया कि वह निर्दोष हैं और उनके द्वारा कभी भी दाखिल खारिज हेतु कोई रिश्वत नहीं मांगी गयी। पूरी कहानी फर्जी, मनगढ़ंत, झूठी और सच्चाई से कोसों दूर है। किन्तु संचालन पदाधिकारी उनके स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं हुए और उसे अस्वीकार कर दिया गया। उनका यह भी कहना है कि संचालन पदाधिकारी द्वारा अपीलार्थी को न तो अपना पक्ष रखने का कोई अवसर दिया गया और न ही गवाहों की जाँच की गयी। जिला दण्डाधिकारी -सह- समाहर्त्ता, मधेपुरा के अपीलाधीन आदेश ज्ञापांक-662-2/स्था0 दिनांक-19.8.2023 में यह अंकित है कि अपीलार्थी श्री देवनारायण मेहता से कार्यालय ज्ञापांक-234-2/स्था0 दिनांक-08.4.2023, स्मार पत्र ज्ञापांक-328-2/स्था0 दिनांक-09.5.2023 एवं स्मार ज्ञापांक-402-2/स्था0 दिनांक-29.5.2023 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की गयी। श्री मेहता द्वारा दिनांक-08.6.2023 को द्वितीय कारणपृच्छा का जवाब समर्पित किया गया। संचालन पदाधिकारी-सह-अपर समाहर्त्ता, मधेपुरा से प्राप्त मंतव्य प्रतिवेदन एवं आरोपी कर्मी द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब की समीक्षा के उपरांत आदेश पारित किया गया। उभय पक्ष के Final बहस को सुनने तथा अभिलेख/LCR में रक्षित कागजातों के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि जिला दण्डाधिकारी -सह- समाहर्त्ता, मधेपुरा के	

आयुक्त न्यायालय कोशी प्रमण्डल, सहरसा

30.10.2025

द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा के समीक्षोपरांत तथा अपीलार्थी के पक्ष को सुनकर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अपीलाधीन आदेश तथा विभागीय कार्यवाही के जाँच प्रतिवेदन के अवलोकनोपरान्त अपीलार्थी श्री देव नारायण मेहता के विरूद्ध आरोप साक्ष्यों के आधार पर प्रमाणित होता है। अपीलार्थी की ओर से सुनवाई में प्रमाणित आरोपों को Negate करने हेतु कोई Admissible Evidence उपथापित नहीं किया जा सका है। साक्ष्यों के आधार पर अपीलार्थी के विरूद्ध गंभीर पदीय कदाचार का आरोप प्रमाणित होता है। वर्तमान सुनवाई में अपीलार्थी की ओर से कोई नया तथ्य अथवा साक्ष्य उपस्थापित नहीं किया जा सका है।

अनुशासनिक प्राधिकार (निम्न न्यायालय) के स्तर से प्रमाणित आरोपों के सापेक्ष संगत तथ्यों एवं साक्ष्यों की विवेचना करते हुए यथोचित Findings के आधार पर नियमानुसार एवं यथोचित दण्ड अधिरोपित किया गया है। जो विधिसम्मत है।

अतः इस अपील वाद को खारिज किया जाता है।

आदेश की प्रति LCR के साथ संबंधित पदाधिकारी को भेजें।

Pmye k.
30/10/2025.
आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा।

लेखापित एवं शुद्धित।

Pmye k.
30/10/2025.
आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा।